

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

250/2011/225

इकाई-एन व/स रामप्रसाद वगैरे

ता. 2011/00052

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

R-18, 2021

9 फरवरी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

पेशी

श्री श्री. इकबाल


हेमराजपुरा 4, 5, 6
श्री श्री. एम. भाटी. 2, 3, 7

14.9.21

प्रकाशचन्द वगैरह बनाम रामप्रसाद व अन्य

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 02, 3, 7 एवं 4, 5, 6 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 18.02.2021 से आज दिनांक तक रेस्पोंडेन्ट संख्या 09 की कायम मुकाम कार्यवाही नहीं की है। अभिभाषक अपीलांट को पूर्व में कई अवसर देने के उपरान्त भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 09 की कायम मुकाम कार्यवाही नहीं की गई। जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 5 के प्रावधानों अनुसार न्यायालय के आदेश के तहत रेस्पोंडेन्ट संख्या 09 की कायम मुकाम कार्यवाही नहीं कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर